

राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग

क्रमांक :-प.3(3)पपा/2015

जयपुर, दिनांक :- 23/11/2015


---: आज्ञा :---

राजस्थान पशुपालन सेवा नियम 1963 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान पशुपालन सेवा के निम्नांकित अतिरिक्त निदेशकों का निदेशक, पशुपालन एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पशुधन विकास बोर्ड राजस्थान, जयपुर (प्रतिनियुक्ति) (पी.बी.-4- 37500-67000 ग्रेड पे 8700/-) के पद पर उनके नाम के आगे अंकित वर्ष की रिक्ति के प्रति योग्यता एवं वरिष्ठता के आधार पर एतद् द्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम अधिकारी	श्रेणी	चयनित वर्ष
1.	डॉ. अजय कुमार गुप्ता	सामान्य	2015-16
2.	डॉ. शैलेश शर्मा	सामान्य	2015-16

उपरोक्त पदोन्नति एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11308/2015 डा. गोविन्द राम चौहान बनाम राज्य व अन्य तथा एस.बी. सिविल याचिका संख्या 18692/2012 डा. रामप्रकाश नायक बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अध्याधीन होगा।


राज्यपाल की आज्ञा से,



(एन. एल. गुप्ता)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पशुपालन, मत्स्य एवं गोपालन विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन, मत्स्य एवं गोपालन विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग।
5. निदेशक, पशुपालन विभाग, सज0, जयपुर।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड, जयपुर
7. संबंधित अधिकारी
8. रक्षित पत्रावली



शासन उप सचिव